

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना.

संख्या:-05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013..... /परि0, पटना दिनांक....

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-13098 दिनांक-25.09.2016 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन के लिए सेवा प्राप्त क्रमांक-01 से 05 तक के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ- 05 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/कोटि क्रमांक	गृह जिला	पूर्व पदस्थापन	नव पदस्थापन का पद एवं जिला
1	2	3	4	5
1	श्री अजय कुमार ठाकुर, 684/11	मुजफ्फरपुर	वरीय उप समाहर्ता, पूर्णियाँ	जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना
2	मो० खुर्शीद अहमद अंसारी, 670/11	मुंगेर	उप निदेशक, उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा उर्दू) विभाग, बिहार	जिला परिवहन पदाधिकारी, गया
3	श्री आलोक कुमार, 730/11	नवादा	जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी, वैशाली	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
4	श्री भारत भूषण प्रसाद, 708/11	पटना	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर(भभूआ)
5	श्री प्रीतिश्वर प्रसाद, 655/11	सिवान	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना	जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण(छपरा)

- मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए उपरोक्त नवपदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त नवपदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने पूर्व पदस्थापन वाले पद का पदभार त्याग करते हुए अविलम्ब नवपदस्थापन वाले पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

विशेष सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

निबंधित/ईमेल ज्ञापांक-05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013... 6283/परि0, पटना दिनांक.... 21/10/16

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/ मुख्य सचिव के प्रधान आन्त सचिव, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी, सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/ सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी संबंधित मोटरयान निरीक्षक/ सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक/ सभी नव पदस्थापित पदाधिकारी/ आई0टी0मैनेजर, कम्प्युटर कोषांग/ परिवहन विभाग के सभी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/10/16

विशेष सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना